न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 49/2025 जीसीएमएस : 2025/451

1. कमलेश कुमार पुत्र श्री गंगाराम जाति सुथार साकिन मुकलावा (17टीके) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. ममता पुत्री श्री श्री गंगाराम जाति सुथार साकिन मुकलावा (17टीके) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. सरोज पुत्री श्री गंगाराम जाति सुथार साकिन मुकलावा (17टीके) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र श्री उदाराम जाति सुथार साकिन मुकलावा (17टीके) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री फताराम जाति सुथार निवासी मुकलावा (17टीके) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. लेखराम पुत्र श्री फताराम जाति सुथार निवासी मुकलावा (17टीके) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. श्रवण कुमार पुत्र पुत्र श्री फताराम जाति सुथार निवासी मुकलावा (17टीके) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री अवतार सिहं बराड़ प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री रविन्द्र कुमार बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण

––निर्णय–– दिनांक 22.12.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कमलेश कुमार वगैरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके नाम से वाके चक 17 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मुश्तरका खाता नं. 34/32 मु.नं. 19 पं.नं. 158/300 के कि.नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 सालम कुल 2.530 है. नहरी भूमि में प्रत्येक का 1/12 हिस्सा व इसी चक के खाता सं. 05 के मु.न. 19 प.न. 158/300 के कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 2.530 है. नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व कब्जा काश्त है तथा चक 17 टी के खाता सं. 34/32 मु.न. 19 प.नं. 158/300 के कि.नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 सालम कुल 2.530 है.नहरी भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की मुश्तरका खाता में है तथा जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मुश्तरका खाता में है तथा अप्रार्थी स. 1 के नाम कि.न. 1–10–11/1 में 0.717 है. भूमि [illegible] की जोत की विशिष्टिया जिनमें से अपेक्षित भूमिगत पाईपलाई[illegible] नया मार्ग खोलने /किसी विद्यमान मार्ग का विस्तार [illegible] आशय रखता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ता 4 से चाहा गया रास्त[illegible] वर्णन अग्रलिखित है :–यह कि प्रार्थीगण को अपनी भू[illegible] 17 [illegible] खाता न. 5/5 में ब[illegible] अपनी ढाणी व उक्त रकबा ले जाने के लिए रास्ते की [illegible]श्यकता है, प्रार्थी को मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

न. 19 में अप्रार्थी सं. 1 के कि.न. 1 में 2 बीस्वा, अप्रार्थी सं. 2 ता 4 प्रार्थीगण स्वयं की मुश्तरका खाता में भूमि के कि.न. 2 व 3 में 2–2 बिस्वा प्रत्येक बीघा में रास्ता आवश्यकता है, मौका पर रास्ता चल रहा है तथा खाता सं. 34/32जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 जिसकी मुश्तरका खाता में कि.न. 2 व 3 आने हेतु रास्ता की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि व ढाणी में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार राजस्व को भू–धारक होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत चक 17 टी के की खाता सं. 5/5 में बनी अपनी ढाणी व उक्त रकबा में जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थीगण को मु.नं. 19 में अप्रार्थी सं. 1 के कि.नं. 1 में 2 बीस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के कि.न. 2 व 3 में दो दो बिस्वा प्रत्येक बीघा में रास्ता की आवश्यकता है, मौका पर रास्ता चल रहा है तथा खाता सं. 34/32 जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 2 ता 4 की मुश्तरका खाता में भूमि है, प्रार्थीगण कि.न. 2 व 3 मुश्तरका खाता में अपने स्वयं के हिस्सा की भूमि को रास्ता में दर्ज करवाना चाहते हैं, उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि को काश्त करने व अपनी ढाणी में जाने हेतु अन्य मार्ग का अभाव है, प्रार्थी के पास अपनी भूमि जोत के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, उक्त चाहा गया रास्ता अतिआवश्यक है, प्रार्थीगण चाहे गये रास्ते के अनुपात में निर्धारित प्रतिकर का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को करने के लिए तैयार है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में रास्ते को विधिवत स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1–2–4 की तरफ से श्री अजीत कुमार सुथार अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं अप्रार्थीगण की ओर से श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 17 टी के संयुक्त खाता सं. 34/32 प.नं. 158/300 मु.नं. 19 के कि.नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 की कुल खाता योग 2.530 है. नहरी खातेदारी भूमि में सहहिस्सेदारान के मध्य काफी अरसा पहले बाहमी घरेलू बंटवारा होकर कि.न. 2 सहित अन्य रकबा अप्रार्थीगण ओमप्रकाश व लेखराम को व कि.न. 3 सहित अन्य रकबा अप्रार्थी श्रवण को एवं कि.नं. 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 का रकबा प्रार्थीगण को संयुक्त खाता में उनके हिस्सानुसार व अन्य खाता की इसी मुरब्बा की 2.530 है. को सम्मिलित करते हुये प्राप्त है इसके अलावा यहॉ यह उल्लेख करना भी न्यायोयित होगा कि उक्त मुरब्बा नं. 19 के कि. न. 1 में से 0.025 है. उत्तरी पासा मिन अप्रार्थीगण ओमप्रकाश वगैरा के पिता फताराम द्वारा अपनी भूमि में पहूँच के प्रयोजनार्थ प्रतिफल पेटे अप्रार्थी प्रेमकुमार से खरीद की गई थी जिस खरीदशुदा रास्ता से ही वे अपने जीवनकाल में व उनके देहान्त उपरान्त मिन अप्रार्थीगण अपने कि.न. 2 व 3 में प्रवेश करते है। मगर खरीदशुदा भूमि रहन होने से नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका है। इस प्रकार प्रेमकुमार को नाइक पक्षकार बनाये जाने से [illegible] काबिल खारिजी के है। आवेदकरगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने व प्रस्तावित रा[illegible] सुगम सुविधा जनक नहीं होने के आधार पर आवेदन[illegible] के है। माननीय न्यायालय आवेदकगण का आवेदन स्वीकार होने लायक [illegible] है तो उस दशा में प्रस्तावित रास्ता मु.नं. 19 के कि.नं. 1, 2 व 3 की भूमि [illegible] खातेदार मिन अप्रार्थीगण ओमप्रकाश सं. 2ता 4 के होने से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृ[त क]रने की दशा में मुआवजा के तौर पर भूमि के बदले में चिपती भूमि प्रार्थीगण से अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को उनके

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:33 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से के अनुपात अनुसार दिलायी जाना न्यायोचित है अन्यथा सूरत में मिन अप्रार्थीगगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा व अपूर्णिय क्षति होगी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को नाहक हेरान परेशान करने व बेजा नुकसान पहूँचाने के आशय से आवेदन मिथ्या आधारों पर पेश किया है जो विधिक अधिकारी नहीं होने से प्रा. पत्र प्रार्थीगण मौजूदा स्तर पर काबिल निरस्ती के है।

तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1628 दिनांक 13.11.2025 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि प्रार्थीगण के नाम चक 17 टी के मु.न. 19 प.न. 158/300 के कि.न. 1/.253, 10/0.253, 11/1 के 0.211, कुल 0.717 है. नहरी भूमि प्रेमकुमार पुत्र उदाराम जाति सुथार सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड तथा इसी मुरब्बे के कि.न. 2–3 सालम, 8–9 सालम, 12–13 सालम, 18–19 सालम, 22–23 सालम कुल 2.530 है. नहरी भूमि ओमप्रकाश –लेखराम –श्रवण कुमार पि. फताराम , कमलेश कुमार –ममता –सरोज पि0 गंगाराम जाति सुथार सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण ने अपने रकबे में आवागमन हेतु इसी मु.नं. 19 के कि.नं. 1 अप्रार्थी तथा 2 ता 3 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता से प्रत्येक में दो दो बिस्वा रास्ता की मॉग की है। उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत रास्ता से निकटतम दुरी पर है। अतः चक 17 टी के का मु.न. 19 के कि. न. 1 ता 3 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना की अभिशांषां की है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए चक 17 टी के का मु.नं. 19 प.न. 158/300 के कि.न. 1 ता 3 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत जावे तथा रास्ता के अनुपात में निर्धारित प्रतिकर का भुगतान करने का सहमत है। वकील अप्रार्थीगण ने भी अपनी बहस में विरोध प्रकट करते हुये अंतिम निवेदन किया रास्ते में आई भूमि के बदले में माननीय न्यायालय उचित मुआवजा के तौर पर भूमि के बदले में चिपती भूमि दिलवाई जावे। प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के निकटतम है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उभयपक्ष पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि के निकटतम है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को रास्ता दिया जाने का प्रावधान है इसलिए प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए चक 17 टी के का मु.न. 19 पं.नं. 158/300 के कि.नं. 1 में प्रेम कुमार से खरीदे गये रास्ते के बदले दी गई राशि का 1/3 हिस्सा प्रार्थी अप्रार्थीगण को देगा। चूँकि कि.न. 13 में आधा बीधा , कि. न. 18 सालम व कि.न. 23 सालम प्रार्थी के पास कब्जा काश्त में है। भूमि संयुक्त खातेदारी में है इसलिए प्रत्येक काश्तकार का सभी किलो में समान रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में चक 17 टी के मु.न. 19 के कि.न. 2 व 3 में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के बदले में जाने वाले के लिए प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कम कर दिया जावे।

–:आदेश:–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक के मु.नं. 19 प.नं. 158/300 के कि.नं. 2 व 3 में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

है। रास्ते के बदले में आने वाली भूमि के लिए प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कम कर दिया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:33 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner